राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(230)वित्त–1(1)/आय व्ययक/2016/ दिनांकः 31.05.2017

कोषाधिकारी,
बीकानेर/दौसा (राजस्थान)।

(स्वीकृति संख्या 73 /2017–18)

**विषय : वर्ष 2017–18 में नगर पालिका नापासर एवं महवा के निजी निक्षेप खातो में राशि हस्तानान्तरण बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर की स्वीकृति क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017–18/3519–3550 दिनांकः 29.05.2017 (प्रति संलग्न) में अंकितानुसार नगर पालिका नापासर एवं महवा के निजी निक्षेप खातो में कुल राशि रुपये 250.32 लाख (अक्षरे दो करोड़ पचास लाख बतीस हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जावेः–

**मांग संख्या – 29**

2217 – शहरी विकास
80 – सामान्य
192 – नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(45) – विशेष अनुदान
[01] – स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से – प्रतिबद्ध
12 – सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) – राज्य निधि **राशि रुपये 250.32 लाख**

उक्त हस्तान्तरित की जाने वाली राशि में से माह अप्रैल, 2017 मे राशि रूपये 191.11 लाख, माह मई, 2017 में राशि रूपये 29.61 लाख व माह जून, 2017 में राशि रुपये 29.60 लाख प्रतिमाह विभागीय स्वीकृति (संलग्न सूची) के अनुसार माह के अंतिम कार्य दिवस को नगर पालिका नापासर एवं महवा के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित की जावे।

**भवदीय**

**(जसवन्त सिंह)**
**संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा–I राजस्थान, जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, बीकानेर/दौसा राजस्थान।
06. अधिषासी अधिकारी, नगर पालिका नापासर एवं महवा।
07. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय–3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
08. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
09. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।

**संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)**

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

वेबसाईट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in ई-मेल- caodlb@gmail.com टेलीफोन/फैक्स न - 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(159 )लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/ 3519 दिनांक 29.5.17

## —:: स्वीकृति आदेश ::—

विषय : नगर पालिका, नापासर एवं महवा को वर्ष 2017-18 में चुंगी की राशि के पुनर्भरण हेतु अनुदान।

राज्य के नगर पालिका, नापासर एवं महवा को राज्य सरकार द्वारा चुंगी समाप्ति की घोषणा के पश्चात होने वाली हानि के पुनर्भरण हेतु वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में प्रथम त्रैमास अप्रैल 2017 से जून 2017 (03 माह) तक के लिये **राशि रुपये 250.32 लाख (अक्षरे दो करोड़ पचास लाख बत्तीस हजार मात्र)** का भुगतान किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| विकलेय मद | बजट प्रावधान | | |
|---|---|---|---|
| मांग संख्या - 29 | स्वीकृत प्रावधान | - | 77312.79 लाख |
| 2217 - शहरी विकास | अतिरिक्त प्रावधान | - | 0.00 लाख |
| 80 - सामान्य | कुल स्वीकृत प्रावधान | - | 77312.79 लाख |
| 192- नगर पालिकाओ/नगर परिषदो को सहायता | पूर्व स्वीकृति पर व्यय | - | 19328.20 लाख |
| (45) - विशेष अनुदान | इस स्वीकृति पर व्यय | - | 250.32 लाख |
| [01] - स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से - प्रतिबद्ध | | | |
| 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) | शेष | - | 57734.27 लाख |

### निकायवार राशि का विवरण

**(राशि लाखों में)**

| क्र. सं. | नगर परषिद/पालिका | श्रेणी | वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में आवंटन योग्य सकल राशि | माह अप्रैल 2017 से जून 2017 हेतु राशि | माह अप्रैल 2017 के अंतिम कार्य दिवस को हस्तांतरण योग्य राशि | माह मई 2017 के अंतिम कार्य दिवस को हस्तांतरण योग्य राशि | माह जून 2017 के अंतिम कार्य दिवस को हस्तांतरण योग्य राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| | कौष कार्यालय,बीकानेर (1099) | | | | | | |
| 1 | नापासर | 4 | 192.00 | 93.00 | 71.00 | 11.00 | 11.00 |
| | **योग** | | **192.00** | **93.00** | **71.00** | **11.00** | **11.00** |
| | कौष कार्यालय, दौसा (1103) | | | | | | |
| 2 | महवा | 4 | 324.80 | 157.32 | 120.11 | 18.61 | 18.60 |
| | **योग** | | **324.80** | **157.32** | **120.11** | **18.61** | **18.60** |
| | **महा योग** | | **516.80** | **250.32** | **191.11** | **29.61** | **29.60** |

उपरोक्त राशि निदेशक वित्त (बजट) विभाग द्वारा सम्बन्धित नगर पालिका, नापासर एवं महवा के निजी निक्षेप खाते में हस्तानान्तरित करने की वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। इस स्वीकृति के लिए वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति **आई.डी.क्रमांक 171700484 दिनांक 15.05.2017** द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गई है।

**(पवन अरोड़ा)**
**निदेशक एवं संयुक्त सचिव**

क्रमांक : प.6(ट)(159 )लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/ 3520-50 दिनांक 29.5.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01 निजी सचिव, मा०मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।

02 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।

25/

03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।

04. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।

05. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 15 अतिरिक्त प्रतियॉ भिजवाकर निवेदन है कि उक्तानुसार राशि सम्बन्धित नगर पालिकाओ के निजी निक्षेप खाते मे माह के अन्तिम कार्य दिवस को हस्तानान्तरित करने की कार्यवाही करें। वित्त विभाग की टिप्पणी के क्रम मे आरयूआईडीपी आदि की बकाया राशि की कटौतियां राज्य वित्त आयोग अनुदान से की जावेगी।

06. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।

07. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा राजस्थान जयपुर।

08. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।

09. जिला कलेक्टर, बीकानेर एवं दौसा।

10. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।

11. लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, लेखां एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।

12. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।

13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।

14. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।

15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बीकानेर एवं दौसा को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्तानुसार के कालम संख्या 6 मे अंकित राशि माह अप्रैल 2017, कालम संख्या 7 मे अंकित राशि माह मई 2017, कालम संख्या 8 मे अंकित राशि माह जून 2017 मे माह के अन्तिम कार्य दिवस को सम्बन्धित नगर पालिकाओं के निजी निक्षेप खाते में जमा करें ताकि प्रत्येक माह की एक तारीख को राशि आहरित की जा सके। प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नगर पालिका कर्मचारियों के वेतन एवम् भत्तों के भुगतान हेतु नियमानुसार बैक पारित करे तथा शेष राशि माह की अन्तिम तारीख तक आगामी माह के लिये राशि निजी निक्षेप खाते मे हस्तानान्तरित होने पर भुगतान करे। कोषाधिकारी इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखे कि प्रत्येक माह कालम संख्या 6, 7 एवम् 8 मे अंकित राशि से अधिक राशि इस स्वीकृति के अन्तर्गत निजी निक्षेप खाते मे हस्तानान्तरित नही की जावे। प्रतिमाह यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित करे कि पूर्व मे इस स्वीकृति से आहरित राशि से कर्मचारियो के वेतन भत्तों का भुगतान कर कटौतियों की राशि सम्बन्धित मदों में जमा करा दी गयी है।

16. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नापासर एवं महवा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कॉलम संख्या 6, 7 एवम् 8 में आवंटित राशि का प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस को संस्था के निजी निक्षेप खाते में हस्तानान्तरण करवाकर आगामी माह की 07 तारीख तक प्रथमतः वेतन एवम् भत्तों के भुगतान एवं कर्मचारियो की कटौतियों को जमा कराने हेतु राशि आहरित करें तथा इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र विभाग को भिजवावें। साथ ही अगला बैक पारित करवाने से पूर्व कोषाधिकारी को प्रतिमाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि पूर्व में आहरित की गयी राशि मे से कर्मचारियों के वेतन एवम् भत्तों की राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तथा कटौती की राशि सम्बन्धित लेखो मे जमा करवा दी गयी है।

17. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर एवं जयपुर।

18. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।

19. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय।

20. प्रभारी, वेबसाईट/प्रभारी ई- गवर्नेन्स/समन्वयक, सी.एम.ए.आर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

21. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी